Part - I

SYLLABUS FOR ENVIRONMENTAL STUDIES AND HUMAN RIGHTS

(Paper code-0828)

MM.

इन्वारमेंटल साईसेस के पाठ्यक्रम को स्नातक स्तर भाग–एक की कक्षाओं में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार अनिवार्य रूप से शिक्षा सत्र 2003–2004 (परीक्षा 2004) से प्रभावशील किया गया है। स्वशासी महाविद्यालयों द्वारा भी अनिवार्य रूप से अंगीकृत किया जाएगा।

भाग 1, 2 एवं 3 में से किसी भी वर्ष में पर्यावरण प्रश्न–पत्र उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। तभी उपाधि प्रदाय योग्य होगी।

पाठ्यक्रम 100 अंकों का होगा, जिसमें से 75 अंक सैद्धांतिक प्रश्नों पर होंगे एवं 25 अंक क्षेत्रीय कार्य (Field Work) पर्यावरण पर होंगे।

सैद्धांतिक प्रश्नों पर अंक – 75 (सभी प्रश्न इकाई आधार पर रहेंगे जिसमें विकल्प रहेगा

(अ) लघु प्रश्नोंत्तर – 25 अंक

(ब) निबंधात्मक – 50 अंक

Field Work – 25 अंकों का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन पद्धति से कर विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जावेगा। अभिलेखों की प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाओं के समान संबंधित महाविद्यालयों द्वारा सुरक्षित रखेंगे।

उपरोक्त पाठ्यक्रम से संबंधित परीक्षा का आयोजन वार्षिक परीक्षा के साथ किया जाएगा।

पर्यावरण विज्ञान विषय अनिवार्य विषय है, जिसमें अनुत्तीर्ण होने पर स्नातक स्तर भाग–एक के छात्र/छात्राओं को एक अन्य विषय के साथ पूरक की पात्रता होगी। पर्यावरण विज्ञान के सैद्धांति एवं फील्ड वर्क के संयुक्त रूप से 33: (तैंतीस प्रतिशत) अंक उत्तीर्ण होने के लिए अनिवार्य होंगे।

स्नातक स्तर भाग–एक के समस्त नियमित/भूतपूर्व/अमहाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं अपना फील्ड वर्क सैद्धांतिक परीक्षा की समाप्ति के पश्चात् 10 (दस) दिनों के भीतर संबं महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र में जमा करेंगे एवं महाविद्यालय के प्राचार्य/केन्द्र अधिक्षक, परीक्ष की नियुक्ति के लिए अधिकृत रहेंगे तथा फील्ड वर्क जमा होने के सात दिनों के भीतर प्र अंक विश्वविद्यालय को भेजेंगे।

Scanned by CamScanner